संख्या- 93/2025/367/35-1-2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 प्रशिक्षण प्रभाग के लिए प्राविधानित **रू0-455.65 लाख (रूपये चार करोड़ पचपन लाख पैंसठ हजार मात्र)** की धनराशि अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय, 06-राज्य नियोजन संस्थान (प्रशिक्षण प्रभाग)" के अन्तर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय, 06-राज्य नियोजन संस्थान (प्रशिक्षण प्रभाग)" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 93/2025/367/35-1-2025(1) /35-1-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(4) आहरण वितरण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
(6)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या -93/2025/367/35-1-2025 दिनांक: 01 मई, 2025 का संलग्नक

(लाख रूपये में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
01	वेतन	200.00
02	मजदूरी	3.50
03	मंहगाई भत्ता	120.00
04	यात्रा व्यय	0.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
06	अन्य भत्ते	0.10
08	कार्यालय व्यय	5.00
09	विद्युत देय	23.00
10	जलकर/जलप्रभार	4.25
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
13	टेलीफोन पर व्यय	1.50
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	6.00
29	अनुरक्षण	15.00
42	अन्य व्यय	10.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.30
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49	चिकित्सा व्यय	15.00
51	वर्दी व्यय	0.20
55	मकान किराया भत्ता	16.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9.00
	योग	**455.65**

(रूपये चार करोड़ पचपन लाख पैंसठ हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।